

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ4 (29)आकाशि /नि.स./2018/ 14।

दिनांक - 30.05.18

आदेश

राजस्थान मेर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2018-19 से 2020-2021 (तीन सत्र) तक स्नातक लाइ पर्सनेल एवं एच२४वीं प्रश्नावली हेतु अनापत्ति अमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है-

संख्या/वैकल्पिक संख्या	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	प्राप्ति/प्राप्ति विभाग का नाम
19 सी, पुराना उदयपुर-313004	गीताजली कॉलेज ऑफ सोसायटी, साईंस एंड कॉमर्स उदयपुर-313004	मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।	अभियाद टिक्को सी। स्नातक सत्र पर वाणिज्य संकाय- एच२४वीं व्या. प्रशासन व्या० अर्थशास्त्र, जनरल वाणिज्य। विज्ञान संकाय- रसायनशास्त्र, कम्प्यूटर साईंस, नौतिकशास्त्र, गणित, सांख्यिकी। बी०सी०ए०कम्प्यूटर एप्लीकेशन

- संस्था अधिकृत उन विश्वविद्यालयों पत्र प्राप्त नहीं हैं। विवरणोंहेतु वार्तिक शुरू करेगी।
- सरकार ने ५२/२०१८-२२ अप्रैल २०१८ में विवाचनसार-स्थापतिक प्रशासन पत्र अभियुक्ति हेतु अवेदन करेगी।
- साहै एवं उदयपुर के विवाचनसार-स्थापतिक प्रशासन अनापत्ति अमाण पत्र प्राप्ति पश्चात् तीन सत्रों में मानदण्डानुसार स्वयं की भूमि पर स्वयं के भवन का निर्माण पूर्ण करेगी।
- अस्था द्वारा सार्वाधिकारी (एच२४वीं और आपी) का प्रत्यक्षीकृति द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा आवश्यकता नहीं है।
- आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अग्रिमत्र उपलब्ध करायेगी।
- संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी०सी०आई० से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
- सरकार प्रथम, अरथात् अनापरिव विभाग मन्त्र प्राप्त वकरने के पश्चात् महाविद्यालय द्वारा अनुमोदन देने के बाद विभिन्न विभागों द्वारा विवाचनसार-स्थापतिक प्रशासन द्वारा अनुमोदन देने के बाद विभिन्न विभागों द्वारा विवाचनसार-स्थापतिक प्रशासन के बाद विवाचनसार-स्थापतिक प्रशासन की स्थिति सुनिश्चित होना।
- संस्था संकाय विवरणों द्वारा ओपटोवीडियो वाले विवाचनसार-स्थापतिक प्रशासन द्वारा अनुमोदन को क्षमिता दी जाएगी। तत्था एवं महाविद्यालय तपनुसार तदेरी सेवा के लिए प्रश्नावली विधान दिया जायेगा।
- राज्य सरकार की महाविद्यालय प्रवेश नीति 2018-19 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
- संस्था प्रति वर्ष विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in से सांख्यिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनाये भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल www.aishe.nic.in हाविद्यसंस्थानों रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् महाविद्यालय इसकी हार्ड कॉपी आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करेंगा।
- उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- विशिष्ट संविधि, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- निजी संघिव, अतिरिक्त मुख्य संघिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलेक्टर, उदयपुर।
- कुल संघिव, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।।
- सम्बन्धित संस्था/ महाविद्यालय।
- सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज विवाचनसार-स्थापति।।
- रक्षित पत्रावली।

For Geetanjali Education Society

Authorised Signatory

२५३
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक: एफ४ (९९)निकाशि / नि.सं. / 2018 /

1702

दिनांक:-

14/12/2022

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत सत्र 2021-22 एवं 2022-23 (दो सत्र) के लिए स्नातक स्तर पर निम्नलिखित संकाय व विषय में अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है-

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	संकाय व विषय
गीतांजली एज्युकेशन सोसायटी 19 सी, पुराना फतेहपुरा, उदयपुर-313004	गीतांजली कॉलेज ऑफ साईंस एण्ड कॉर्सेस एन. एच-76, एयरपोर्ट रोड़, डबोक, उदयपुर-313022	मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।	अनिवार्य विषयों सहित स्नातक स्तर पर - बी.सी.ए।

- संस्था अस्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त प्रत्येक सत्र हेतु नियमानुसार मय निरीक्षण शुल्क आवेदन करेगी।
- संस्था सत्र 2023-24 में निर्धारित अवधि में नियमानुसार स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करेगी।
- संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
- संस्था को समय-समय पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निदेशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
- संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0री0आई० से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
- संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करेगा।
- सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संस्था सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
- संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
- राज्य सरकार की महाविद्यालय प्रवेश नीति 2022-23 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
- संस्था प्रति वर्ष विभाग के NOC पोर्टल पर आवश्यक सांख्यिकी एवं महाविद्यालय की सूचनाएं निर्धारित अवधि में भरकर अपलोड करेगी।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेब पोर्टल www.aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय अपलोड प्रमाण पत्र की हार्ड कॉपी आवश्यकतानुसार आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

४।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- विशिष्ट सहायक, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलेक्टर, उदयपुर।
- कुल सचिव, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
- सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय।
- सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(नि०सं०)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर